कार्यालय नगर परिषद,विश्रामपुर

दर आमंत्रण सूचना 03/17–18

नगर परिषद, विश्रामपुर के 20 (बीस) वार्डो में पीने का पानी की किल्लत को देखते हुए माह मई 2017 से टैंकर द्वारा सभी वार्डो में 10 संवेदकों द्वारा क्रमशः (1) 01 से 02, (2) 03 से 04, (3) 05 से 06, (4) 07 से 08 (5) 09 से 10, (6) 11 से 12, (7) 13 से 14, (8) 15 से 16 (9) 17 से 18, (10) 19 से 20, वार्ड में जलापूर्ति करना है। एक संवेदक को एक कार्य ही आवंटित किया जाना है। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक कार्य एक संवेदक को आवंटित किया जा सकता है।

अतः इच्छुक व्यक्ति प्रति टैंकर पीने योग्य शुद्व एवं स्वच्छ जलापूर्ति दर अंकित कर दर (मूल्य कथन जो 600 रूप्ये से 650 रूप्ये तक) बन्द लिफाफे में दिनांक 20.05.17 को 2.00 बजे अपराह्न समर्पित करे। दर (मूल्य कथन) दिनांक 20.05.17 को 3.30 बजे दिन मे खोला जाएगा। कोटेशन के साथ 1000.00 मू0 का ड्राफ्ट (Non Refundable) जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत विश्रामपुर के पदनाम से होना अनिवार्य है, साथ ही ट्रैक्टर का कागजात एवं ड्राईवींग लाईसेंस साथ में सलग्न करना अनवार्य है। अंकित दर के अतिरिक्त नगर परिषद विश्रामपुर के द्वारा डीजल, मोबिल आदि नही दी जायेगी। मूल्य कथन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

13/05/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर।

ज्ञापांक **152** दिनांक **13.05.2017**

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्षा/उपाध्यक्ष/ सभी वार्ड पार्षद को सूचनार्थ समर्पित।

13/05/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर।

ज्ञापांक **152** दिनांक **13.05.2017**

प्रतिलिपिः– कार्यालय के सूचना पट पर साटकर आम जनता को सूचनार्थ।

13/05/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर।

ज्ञापांक **152** दिनांक **13.05.2017**

प्रतिलिपिः– दैनिक समाचार पत्र **दैनिक भास्कर एवं प्रभात खबर** को प्रकाशनार्थ प्रेषित। आप इस निविदा का प्रकाशन न्युनतम सरकारी दर पर न्युन्तम साईज में प्रकाशित करे।

13/05/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर।

Scanned by CamScanner

नियम एवं शर्त

1. नगर पर्षद विश्रामपुर में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक तथा झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम है।
2. शर्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगी। मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ ट्रैक्टर का कागजात, एवं ड्राईविंग लाईसेंस साथ में सलंग्न करना अनिवार्य है।
4. संवेदक को प्रतिट्रीप राशि रू0 अधिकतम 600.00 से 650.00 (छह सौ से छह सौ पचास) रूपेया का भुगतान किया जायेगा।
5. संवेदक को ट्रैक्टर, पानी टंकी, इंधन, पानी निकालने हेतु पम्प का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
6. प्रत्येक वार्ड में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सिफारिश पर ट्रीप बढ़ाई जा सकेगी।
7. जलापूर्ति की Monitoring व्यवस्थित तरीके से की जायेगी।
8. आपूर्ति टैंकरो का लॉकबुक प्रतिदिन कार्यालय में जमा की जायेगी।
9. कर्मियों का रोस्टर बनाकर जलापूर्ति पर निगरानी रखी जायेगी।
10. संवेदकों का चयन सरकार से गठित **"निविदा निस्तार समिति"** द्वारा किया जायगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक ही कार्य को एक से अधिक संवेदकों के बीच बांटने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा दिया गया आदेश ही मान्य होगा।
12. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराए गए कार्यो का भुगतान सम्भव होगा।
13. एक संवेदन को एक ही कार्य आवंटित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में एक से अधिक कार्य संवेदक को आवंटित किया जा सकता है।
14. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद का निबटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
15. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

13/05/17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद विश्रामपुर

Scanned by CamScanner